न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538
(CNR. No.-UPET010010242026)

(अंतरण प्रार्थना–पत्र) दांडिक प्रकीर्ण सं0–156/2026

पूरन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य आदि।

01.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकारा गया। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी सं0 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षी सं0 01 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। आवेदक एवं विपक्षी सं0 01 के विद्वान अधिवक्ता को अंतरण प्रार्थना–पत्र 3अ पर सुना गया।

आवेदक पूरन सिंह की ओर से यह अंतरण प्रार्थना–पत्र 3अ, मय शपथपत्र 4ब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद सं0–2977/2023, ममता बनाम पूरन सिंह आदि, धारा 452,323,504,506,354 आई०पी०सी० सम्बन्धित थाना सकरौली जिला एटा में वर्तमान न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर जिला एटा के न्यायालय में लम्बित है, जिसमें दिनांक 23.02.2026 नियत है। उक्त परिवाद आवेदक की पुत्रवधू ममता ने आवेदक व उसके पुत्र मनोज व पुत्रवधू नगीना व पति बल्देव के पति दिनांक 24.05.2023 को योजित किया था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त पूरन सिंह व उसके पुत्र मनोज को धारा–452,323,504,506,354 आई०पी०सी० में व अभियुक्त नगीना को धारा–452,323,504,506 आई०पी०सी० में दिनांक 05.10.2023 को संज्ञान लेते हुये तलब किया गया था। उपरोक्त परिवाद मामले में तलबी आदेश के विरूद्ध अभियुक्तों द्वारा याचिका सं0–482 (ए482) 22056/2024 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुये दिनांक 26.07.2024 को यह आदेश पारित हुआ कि संदर्भित मामला पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित है। इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले को पॉक्सो कोर्ट में भेजे जाने हेतु माननीय सी०जे०एम०, एटा को यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त संदर्भित मामला तीन सप्ताह के अन्दर पॉक्सो एक्ट कोर्ट में भेजा जाये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिवादिनी ममता ने अपना पुनः परिवाद पॉक्सो कोर्ट एटा में भी योजित किया,

जिसमें परिवादिनी ने आवेदक व आवेदक के पुत्र मनोज को अभियुक्त नामित किया। तत्पश्चात पॉक्सो न्यायालय द्वारा आवेदक व उसके पुत्र मनोज को धारा–354ख,आई०पी०सी० एवं धारा–8 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में वास्ते विचारण दिंनाक 30.05.2024 को तलब किया गया। तत्पश्चात आवेदक व उसके पुत्र मनोज ने पॉक्सो न्यायालय में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली है तथा पॉक्सो न्यायालय में लम्बित मुकदमे में दिनांक 27.02.2026 नियत है। परिवादिनी ममता ने जो परिवाद सिविल जज (जू०डि०) जलेसर एटा के न्यायालय में योजित किया था, उसमें परिवादिनी द्वारा उस परिवाद में उल्लखित चार अभियुक्तों को नामित किया गया था। जो परिवाद परिवादिनी ममता ने पॉक्सो न्यायालय में योजित किया था, उसमें अभियुक्त मनोज व पूरन सिंह ही नामित है। दोनों परिवादों में घटना का कथानक दिनांक, समय व घटनास्थल समान है, जो एक ही घटना से सम्बन्धित दर्शाये गये है। इससे स्पष्ट है कि एक ही घटना के संदर्भ में दो–दो परिवाद अलग–अलग न्यायालयों में लम्बित है, जो विधि–विरूद्ध है। न्यायहित में दोनों ही परिवादों का विचारण एक ही न्यायालय में किये जाने की याचना की गयी है।

अंतरण प्रार्थना–पत्र के साथ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित तलबी आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी हैं। पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका योजित होने की प्रति उपलब्ध है, किंतु ऐसा कोई माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उपलब्ध नहीं है, जैसे कथन अंतरण प्रार्थना–पत्र में किये गये हैं, जिसमें अवर न्यायालय को कोई निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।

दोनों ही न्यायालय की आख्याऍ प्राप्त हैं, जिनके अनुसार दांडिक वाद सं0 2977/2023, ममता बनाम डॉ0 पूरन सिंह आदि, थाना सकरौली न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), जलेसर, एटा में तथा सत्रवाद सं0 349/2024, राज्य बनाम मनोज व एक अन्य न्यायालाय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो अधिनियम)–प्रथम, एटा में लंबित है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना–पत्र के तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी ममता द्वारा विपक्षी/आवेदक पूरन सिंह व अन्य के विरुद्ध एक ही घटना, जो दिनांक 24.05.2023 से संबंधित है, के संदर्भ में दो पृथक–पृथक कार्यवाहियां गतिमान की गई हैं। प्रथम मामला परिवाद संख्या–2977/2023, ममता बनाम पूरन सिंह आदि के रूप में न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर के

समक्ष लंबित है, भा0दं0सं0 की धारा 452,323,504,506 व 354 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। वहीं दूसरी ओर, इसी समान घटनाक्रम के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत भी कार्यवाही प्रचलित हुई, जो वर्तमान में सत्रवाद संख्या–349/2024, राज्य बनाम मनोज व अन्य के रूप में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो अधिनियम)–प्रथम, एटा के समक्ष विचाराधीन है। न्यायशास्त्र का यह आधारभूत सिद्धांत है कि एक ही घटना, एक ही समय और समान पक्षों के मध्य होने वाले विवादों का विचारण अलग–अलग न्यायालयों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल विरोधाभासी निर्णयों की संभावना प्रबल होती है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और पक्षकारों के उत्पीड़न का कारण भी बनता है। चूंकि पॉक्सो न्यायालय एक विशेष न्यायालय है और विधि की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी मामले में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं समाहित हैं, तो उस संपूर्ण प्रकरण का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जाना विधिक रूप से उचित है। आवेदक का यह तर्क अत्यंत सुसंगत है कि दोनों परिवादों में घटना का कथानक, तिथि, समय और घटनास्थल पूर्णतः समान हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि ये दोनों वाद एक ही आपराधिक व्यवहार का हिस्सा हैं। धारा 408 दं0प्र0सं0/448 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश को यह विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वह न्याय के हित में वादों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सके। वर्तमान परिस्थिति में, न्यायिक सुगमता, साक्ष्यों की पुनरावृत्ति से बचाव और समय की बचत हेतु यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित पत्रावली को पॉक्सो न्यायालय, एटा में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि दोनों मामलों का निस्तारण एक साथ या एक ही न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सके। अतः दोनों वादों के निस्तारण और विधिक जटिलताओं को समाप्त करने हेतु अंतरण प्रार्थना–पत्र 3अ स्वीकार किए जाने योग्य है और मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली को पॉक्सो न्यायालय की पत्रावली के साथ संबद्ध/मर्ज कर विचारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक पूरन सिंह द्वारा प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा में लंबित परिवाद सं0 2977/2023, ममता बनाम पूरन सिंह आदि, धारा 452,323,504,506,354 भा0दं0सं0, थाना सकरौली, जिला एटा की पत्रावली तत्काल न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो अधिनियम)–प्रथम, एटा को स्थानांतरित की जाती है, जहाँ पूर्व से लंबित सत्रवाद

सं0 349/2024 के साथ सम्बद्ध कर नियमानुसार विधि सम्मत विचारण/निस्तारण किया जाए।

संबंधित न्यायालयों को आदेश की प्रति तत्काल अनुपालनार्थ भेजी जाए। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा
JO Code UP 6538

दिनांकः 01.04.2026

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.04.01 15:23:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court